

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा

संख्या: 1788/प्रशा.अधि./लोकवाणी


दिनांक: 30 जून, 2015

प्रेस विज्ञप्ति

जिला कारागार, आगरा में बंदियों से प्रतिदिन मिलने आनेवाले रिश्तेदारों/आगंतुकों की सुलभता व सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित 'लोकवाणी सोसाइटी, आगरा' के अधीन कंप्यूटरीकृत प्रवेश-पत्रों के माध्यम से कारागार में मुलाकात कराये जाने की सुविधा प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा जिला कारागार स्थित प्रवेश द्वार के निकट नवनिर्मित 'प्रवेश-पत्र वितरण कक्ष' से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाना है। अतः 'सेवा प्रदाता एजेंसी' का चयन किये जाने हेतु कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखनेवाले एवं कार्य करने वाले अभ्यर्थियों/एजेंसीयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में आवेदन फॉर्म रु० 200/- नकद जमा कर 'प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, आगरा' से प्राप्त किया जा सकता है जिसे सीलबंद लिफाफे में भरकर दिनांक 15 जुलाई, 2015 को सायं 4 बजे तक जमा किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ रु० 5000/- की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है जो जिलाधिकारी/अध्यक्ष, लोकवाणी सोसाइटी, आगरा के नाम देय होगी। 'सेवा प्रदाता एजेंसी' के चयन/आबंटन में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, लोकवाणी सोसाइटी, आगरा का निर्णय अंतिम होगा।

कार्य का नाम : जिला कारागार, आगरा में कंप्यूटरीकृत प्रवेश-पत्र जारी करने की व्यवस्था


कार्य का विवरण : चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी को जिला कारागार के बाहर निर्धारित कक्ष में 5-6 सेट कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर, वेब कैमरा इत्यादि उपकरण स्थापित कर व कंप्यूटर ऑपरेटर्स तैनात कर आगंतुकों/मुलाकातियों के प्रवेश-पत्र प्रिंटिंग व वितरण का कार्य किया जाएगा। कार्य से सम्बंधित अन्य विवरण, नियम व शर्तें आवेदन फॉर्म पर उपलब्ध हैं।


अपर जिलाधिकारी(नगर)
/नोडल अधिकारी(ई-गवर्नेंस)
आगरा

संख्या व दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि: संपादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा हिंदुस्तान, आगरा को इस आशय से कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में सशुल्क प्रकाशित कराकर बिल, समाचार पत्र की प्रति सहित भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, आगरा को उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति जनपद आगरा की वेबसाइट <http://agra.nic.in> पर सूचनार्थ प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी(नगर)
/नोडल अधिकारी(ई-गवर्नेंस)
आगरा